



कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
(मन और रोजगार एजावा, प्रदूष सरकार)
EMPLOYEES' PROVIDENT FUND ORGANISATION
(Ministry of Labour & Employment, Govt. of India)
गृह कार्यालय / Head Office
शैवित निधि भवन, 14 बैकाजी कामा लॉट, नई दिल्ली - 110 066
Shivsya Nidhi Bhawan, 14, Bhikaji Cama Place, New Delhi - 110 066.

No. C-I/1(18)2016/ Labour Laws
To *[Signature]* *[LRG]*

Date: 21/02/2017

All Addl. CPFC (Zones)
All Regional Provident Fund Commissioner-I/Officer in Charge,
(Regional Offices/ZTIs/ZAPs/ZVDs)

Sub:- Issue of Notification on Labour Laws for the purpose of maintaining combined registers regarding.

Sir,

Enclosed please find herewith Gazette of India's notification number GSR 154(E) dated 21.02.2017 on the subject cited above.

Ministry of Labour & Employment, Govt. of India has taken several initiatives to reduce the complexity of compliance and to bring transparency and accountability in enforcement of Labour Laws. Govt. of India has issued a notification dated 21.02.2017 in respect of nine (9) Central Labour Laws with a view to avoid overlapping data fields and to reduce the number of registers/forms to promote ease of compliance and to save efforts and cost.

It is therefore, requested to take necessary action/ use of the said notification while conducting inspections and in assessment of the dues under various provisions of EPF & MP Act, 1952.

Yours faithfully,

Encl : as above

[Signature]
(Aprajita Jaggi)
Regional PF Commissioner-I (Compliance)

Copy to :-

1. PS to CPFC
2. PS to all Addl. CPFC(Hqrs)
3. PS to FA&CAO
4. PS to CVO
5. RPFC(NDC) for uploading it on official website.



R.K.GUPTA
Joint Secretary

D.O No-Z-20025/27/2016-LRC

23 MAR 2017

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

भारत सरकार

भूमि शक्ति भवन, रफी मार्ग,

नई दिल्ली-110119

MINISTRY OF LABOUR & EMPLOYMENT

GOVERNMENT OF INDIA

SHRAM SHAKTI BHAWAN, RAFI MARG,

NEW DELHI-110119

Dated 7 March, 2017

38

Dear

As you are aware, Government of India has taken several initiatives to reduce the complexity of compliance and bring transparency and accountability in enforcement of Labour Laws. These initiatives include legislative reforms where the age old labour laws are proposed to be amended and also the procedural reforms making the compliance of labour laws easy and user friendly. While reviewing the requirement of filing various returns / registers/forms provided under various labour laws, it was observed that the 56 Registers / Forms prescribed under the Rules made under the following 9 Central Acts have over-lapping/redundant fields:

- (i) The Building and Other Construction Workers (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act, 1996
- (ii) The Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970
- (iii) The Equal Remuneration Act, 1976
- (iv) The Inter-State Migrant Workmen (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act, 1979
- (v) The Mines Act, 1952
- (vi) The Minimum Wages Act, 1948
- (vii) The Payment of Wages Act, 1936
- (viii) The Sales Promotion Employees (Conditions of Service) Act, 1976
- (ix) The Working Journalists and Other Newspaper Employees (Conditions of Service) Act, 1955.

2. Therefore, an exercise was undertaken in the Ministry of Labour & Employment to do away with overlapping data fields and reduce the number of registers/forms to promote ease of compliance and also to save efforts and cost. Accordingly, Ministry of Labour & Employment has notified "Ease of Compliance to maintain Registers under various Labour Laws Rules, 2017" on 21st February 2017 which has in effect replaced the 56 Registers/Forms under 9 Central Labour Laws and Rules made thereunder in to 5 common Registers/Forms. This will save efforts, costs and lessen the compliance burden by various establishments. A copy of the Notification is enclosed for your kind perusal and further appropriate action at your end for effective implementation of these Rules. These Rules are also available on the Website of this Ministry at the link below:

<http://labour.gov.in/whatsnew/case-compliance-maintain-registers-under-various-labour-laws-rules-2017>

3. This Ministry has also simultaneously undertaken to develop a software for the 5 common Registers. After development of the software, the same will be put on the Shram Suvidha Portal of the Ministry for free download with an aim to facilitate maintenance of those registers in a digitized form in accordance with the provisions made in the above said notification/Rules.

With regards,

Yours sincerely,

(R. K. Gupta)

Dr. V. P. Jay
Central Provident Fund Commissioner
Employees Provident Fund Organisation
Bhavishyanidhi Bhavan, New Delhi

"बाल श्रम रोके"

"STOP CHILD LABOUR"



भारत का वाजपेय The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—वर्ष-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्रधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

नई दिल्ली, मंगलवार, फाब्रुरी 21, 2017/फाल्गुन 2, 1938

NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 21, 2017/FALGUNA 2, 1938

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 फरवरी, 2017

सं. 126]

No. 126]

सा.का.नि. 154(अ).—जबकि इसमें लिखित विभिन्न श्रम मंवंक्षी विधियों की अपेक्षाओं के सुनाम, और सामीक्षन अनुपालन हेतु तथा ऐसी सभी विधियों के लिए संयुक्त रजिस्टर रखने के प्रयोजनार्थ, उचा प्रयोगन के लिए पृथक् नियम बनाना आवश्यक हो गया है:

और जबकि पंगे संगुस्त रजिस्टर को उपलब्ध कराने का आशय उत्तम गंभीर विधियों और शास्त्रीय बनाए राए नियमों के प्रणालनों का अधिक विनियोगित रूप से उत्कर्षोनिक रूप में, जिसमें ऐसे रजिस्टरों के अनुदान हैं उपलब्ध किए गए हैं, हित साधन करता है;

जनकि प्रताविता निगमों के अधीन उगवंथित नंगुला रजिस्टर अनुपालन, रख-खात्र और निरीणाथ की सुगाना को सुकूर बनाएंगे तथा तद्दीन उपलब्ध कराई गई जानकारी को भी लैकट्रॉनिक साधनों के माध्यम से जनना। तक नहज गहैर-गोपनीय बनाएंगे जिसका परिणाम वर्धमान पारदर्शिता होगा;

और जबकि पूर्वोक्त प्रयोजन के निए पृथक् निवम बनाए जाने से विशिष्ट अग संबंधी विधियों के अशीन उपर्युक्त रजिस्टरेशन के मंदभाँ को बनाने में फायदा होगा, जिससे लोक प्रयोजन की वेहतर ढंग से पर्ति होगी;

और जबकि पूर्वोक्त प्रश्नोंका की प्राप्ति के निए, प्रामाण नियम, अर्थात् विभिन्न शब्द विधियों के अधीन रजिस्टर सख्ती की गतुपालन की मानसिकता नियम, 2016, भारत ने राजपत्र असाधारण गांव 11, खण्ड 3, उप-खण्ड (j) में प्रकाशित भारत सरकार, अम और दोगाहार मंत्रालय की अधिसूचना मंड़बा सा. का. नि. 1048(अ), तारीख 4 नवंबर, 2016, द्वारा प्रकाशित किए गए थे, जिसमें उन सभी व्यक्तियों से, जिनको उससे प्रधाविन होने की संभावना थी, उस तारीख से जिसको उक्त अधिसूचना वाले अन्तर्विष्ट करने वाली राजपत्र की प्रतियों जनता खोल उपलब्ध करा दी गई थीं, तीन मास की व्यवधि की समाप्ति पर या उनसे पहले आदेष और सूचाए माँगे गए थे:

और उक्त राज्यपत्र की प्रतियाँ अगला छो 4 नवंबर, 2016 की उपलब्ध चरा दी गई थी।

और उक्त प्रारूप विद्यमानों के सम्बन्ध में जगता रो प्राप्त आश्रयों और सहायों पर वेन्ट्रीय रारवार हारग विचार कर लिया गया है;

अतः अब चेन्नीग शरकार, मून्जना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) के अध्याय 3 के राख गठित नियमिति द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नियमिति नियम लानी ही है। अबाँत -

- (क) भवन एवं अन्य सञ्चिमणि कर्मचार (रोजगार का विनियमन एवं गेला था) अधिनियम, 1996 (1996 का 27) की धारा 62 तथा विशेषज्ञ रागि ते के प्राप्ति के पश्चात्;

(ख) टेका अधीनियम (विनियमन एवं उत्पादन) अधिनियम, 1970 (1970 का 37) की धारा 35;

(ग) समान पारिवर्त्यांक अधिनियम, 1976 (1976 का 25) की धारा;

(घ) अंतर-राज्यिक भवासी कर्मचार (नियोजन ता विनियमन और भेद्या था) अधिनियम, 1979 (1979 का 30) की धारा 35;

(ङ) खान अधिनियम, 1952 (1952 का 35) की धारा 59 के शाश्वत धारा 58 और उक्त धारा 59 की उप-धारा (4) की अपेक्षाओं का पालन करने वे पश्चात्;

(च) न्यूनतम भजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा 29 और धारा 30;

(छ) भजदूरी गंदास अधिनियम, 1936 (1936 का 4) की धारा 26;

- (ज) विक्रम संवर्धन कर्मचारी (रोवा शर्ते) अधिनियम, 1976 (1976 का 11) की धारा 12;
- (ग) अमज्जीवी पत्रकार और अन्य समाजार-पत्र कर्मचारी (सेवा की शर्ते) एवं प्रतीर्ण उपबंध अधिनियम, 1955 (1955 का 45) की धारा 20;
1. राष्ट्रिय नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों वा संक्षिप्त नाम विभिन्न शास्त्रियों के अधीन रजिस्टरों के रख रखाव के अनुपालन की सुगमता नियम, 2017 है।
(2) ये राजग्रन्थ में उनके प्रकाशन की तारीख वो प्रदत्त होगी।
 2. कठिपय थम संबंधी विधियों के अधीन रजिस्टरों का रख रखाव.—(1) निम्नलिखित के अधीन बनाए गए विभीं नियम में अंतर्दिष्ट किसी वात के होते हुए भी:-
 - (i) भवन एवं अन्य सामिरण कर्मकार (रोजगार एवं सेवा शर्ते का विनियमन) अधिनियम, 1996 (1996 का 27);
 - (ii) ठेका थम (विनियमन एवं उत्साहन) अधिनियम, 1970 (1970 का 37);
 - (iii) सागार पारिशमिक अधिनियम, 1976 (1976 का 25);
 - (iv) बंदर-राजिक प्रवासी वर्मकार (नियोजन वा विनियमन और सेवा शर्ते) अधिनियम, 1979 (1979 का 30);
 - (v) खान अधिनियम, 1952 (1952 का 35);
 - (vi) नृनृतन मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11);
 - (vii) मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936 (1936 का 4);
 - (viii) विक्रम संवर्धन कर्मचारी (सेवा शर्ते) अधिनियम, 1976 (1976 का 11);
 - (ix) शास्त्रीय पत्रकार एवं अन्य समाचार-पत्र कर्मचारी (सेवा शर्ते) एवं प्रतीर्ण उपबंध अधिनियम, 1955 (1955 का 45);

इन नियमों गे विनिर्दिष्ट प्रपत्रों में गंधुक रजिस्टर का तो इनैक्स्ट्रॉनिक रूप में वा अन्यथा बनाए जाएंगे तथा इनके अधीन बनाए गए पूर्वान्तर अधिनियमितियों और नियमों जो इसमें निर्दिष्ट हैं, के प्रयोजनों के लिए प्रयोग में लाए जाएंगे।

(2) गदि उपनियम (1) में निर्दिष्ट गंधुक रजिस्टर उक्त उपनियम गे निर्दिष्ट अधिनियमितियों में से निम्नी अधिनियमिति के अधीन नियुक्त संबंधित निरीक्षक द्वारा निरीक्षण वे; लिए अपेक्षित होता है, तो नशामिति संबंधित व्यापारी सूचना को सुधार बनाने के प्रयोजनों के लिए आवश्यक गंधुक रजिस्टर उपलब्ध कराएगा या आवश्यक विभिन्नियों का उपबंध करेगा।

(3) जहाँ उपनियम (1) में निर्दिष्ट कोई रजिस्टर इनैक्स्ट्रॉनिक प्रस्तुत में बनाए रखा जाता है, वहाँ, रजिस्टर के विनाम और प्रारुति वो रजिस्टर के स्तंभों की अधातता, ग्राम गंडांक और अंतर्वेस्तु में परिवर्तन लिए विना, किंतु अन्यथा नहीं, सामाजिक नियम किया जा सकेगा।

3. करियाय नियमों का संशोधन।—विभिन्न विधित नियम में उन वारों के सिवाय जिन्हें ऐसे संशोधन से पहले लिया गया है या किए जाने का लोग किया गया है तीव्र विनिर्दिष्ट रिति में संशोधन लिया जा सकता, अर्थात्:-

- (i) भवन और बना सचिवालिंग कर्मचार (भेजगार का विनियमन एवं संवाद शर्त) नोंद्वाय नियम, 1998 में-
 - (a) नियम 240 में, "इन नियमों से उपायद्वारा प्रलेप 15" शब्दों और अंकों के स्थान पर "विभिन्न शम विधियों के अधीन रजिस्टरों के रख रखाव के अनुपालन की सुगमता नियम, 2017 की अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्रलेप के अधीन रजिस्टर बनाने वें सुगम अनुपालन की अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्रपत्र" शब्द और अंक रखे जाएँगे;
 - (b) नियम 241 में, उपनियम (1) में-
 - (वा) खण्ड (क) में, "इन नियमों से उपायद्वारा प्रलेप 16 और प्रलेप 17 में हाजिरी रजिस्टर और सजदूरी रजिस्टर" शब्दों और अंकों के स्थान पर "विभिन्न शम विधियों के अधीन रजिस्टरों के रख रखाव के अनुपालन की सुगमता नियम, 2017 की बनानी में क्रात्ति; विनिर्दिष्ट प्रलेप शब्द और प्रलेप शब्द में सजदूरी रजिस्टर और हाजिरी" शब्द, अंक और अंक रखे जाएँगे;
 - (ख) खण्ड (ख) में, "इन नियमों से उपायद्वारा क्रात्ति; प्रलेप 19, प्रलेप 20 और प्रलेप 21 में" शब्दों और अंकों के स्थान पर "विभिन्न शम विधियों के अधीन रजिस्टरों के रख रखाव के अनुपालन की सुगमता नियम, 2017 की अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्रलेप शब्द में" शब्द, अंक और अंक रखे जाएँगे;
 - (ग) खण्ड (ग) में, "इन नियमों दो उपायद्वारा प्रलेप 22 में" शब्दों और अंकों के स्थान पर "विभिन्न शम विधियों के अधीन रजिस्टरों के रख रखाव के अनुपालन की सुगमता नियम, 2017 की अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्रलेप के में" शब्द, अंक और अंक रखे जाएँगे; और
 - (ii) प्रलेप 15, प्रलेप 16, प्रलेप 17, प्रलेप 19, प्रलेप 20 और प्रलेप 21 तथा प्रलेप 22 का लोप किया जाएँगा।
 - (ii) टेका शम (विनियमन एवं उत्पादन) केन्द्रीय नियम, 1971 में-
 - (अ) नियम 75 में, "प्रलेप 13 में" शब्द और अंक के स्थान पर "विभिन्न शम विधियों के अधीन रजिस्टरों के रख रखाव के अनुपालन की सुगमता नियम, 2017 की अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्रलेप के में" शब्द, अंक और अंक रखे जाएँगे;
 - (आ) नियम 78 के खण्ड (क) में-
 - (क) उपन्यंत्र (i) में-
 - (क) "क्रात्ति; प्रलेप 16 और "प्रलेप 17" शब्दों और अंकों के स्थान पर, "विभिन्न शम विधियों के अधीन रजिस्टरों के रख रखाव के अनुपालन वें सुगमता नियम, 2017 की अनुसूची में क्रात्ति; विनिर्दिष्ट प्रलेप शब्द और प्रलेप शब्द में" शब्द, अंक और अंक रखे जाएँगे;

(म) प्रतुक का लोप किया जाएगा;

(म) उग्न्यंड (ii) में "क्रमशः प्ररूप 20, प्ररूप 21 और प्ररूप 22" शब्दों और अंकों के स्थान पर "विभिन्न धर्म विधियों के अधीन रजिस्टरों के रख रखाव के अनुपालन की सुगमता नियम, 2017 की अनुगृहीत में विनिर्दिष्ट प्ररूप ग में" शब्द, अंक और अधार रखे जाएंगे;

(ग) उग्न्यंड (iii) में "प्ररूप 23" शब्दों और अंकों के स्थान पर "विभिन्न धर्म विधियों के अधीन रजिस्टरों के रख रखाव के अनुपालन वी सुगमता नियम, 2017 की अनुगृहीत में विनिर्दिष्ट प्ररूप ख में" शब्द, अंक और अधार रखे जाएंगे;

(२) प्ररूप 13, प्ररूप 16, प्ररूप 17, प्ररूप 18 प्ररूप 20, प्ररूप 21, प्ररूप 22 और प्ररूप 23 का लोप किया जाएगा।;

(iii) गमन प्रान्तिकामिक नियम, 1976 में –

(क) नियम 6 में, "प्ररूप ध में" शब्दों और अधार के स्थान पर "विभिन्न धर्म विधियों के अधीन रजिस्टरों के रख रखाव वी अनुपालन की सुगमता नियम, 2017 की अनुगृहीत में विनिर्दिष्ट प्ररूप ख में" शब्द, अंक और अधार रखे जाएंगे;

(ख) प्ररूप ८ का लोप किया जाएगा;

(iv) अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी वर्षकार (नियोजन का विनियमन और मेना शर्त) बैलॉय नियम 1980 में –

(व) नियम 49 में "प्ररूप 13 में" शब्दों और अंकों के स्थान पर "विभिन्न धर्म विधियों के अधीन रजिस्टरों के रख रखाव के अनुपालन की सुगमता नियम, 2017 की अनुगृहीत में विनिर्दिष्ट प्ररूप क में" शब्द, अंक और अधार रखे जाएंगे;

(आ) नियम 52 के उप-नियम (2) में –

(क) छंड (८) में "स्वरूप 17 और "प्ररूप 18 में" शब्दों, अंकों के स्थान पर "विभिन्न धर्म विधियों के अधीन रजिस्टरों के रख रखाव के अनुपालन वी सुगमता नियम, 2017 की अनुगृहीत में क्रांति विनिर्दिष्ट प्ररूप ध और प्ररूप ख में" शब्द, अंक और अधार रखे जाएंगे;

(ख) छंड (ग) में "प्ररूप 19, प्ररूप 20 और प्ररूप 21 में" शब्दों और अंकों के स्थान पर "विभिन्न धर्म विधियों के अधीन रजिस्टरों के गङ्गा रखाव के अनुपालन वी सुगमता नियम, 2017 की अनुगृहीत में विनिर्दिष्ट प्ररूप ग में" शब्द, अंक और अधार रखे जाएंगे;

(ग) छंड (प) में "प्ररूप 22 में" शब्दों और अंकों के स्थान पर "विभिन्न धर्म विधियों के अधीन रजिस्टरों के गङ्गा रखाव के अनुपालन की सुगमता नियम, 2017 की अनुगृहीत में विनिर्दिष्ट प्ररूप ख में" शब्द शब्द, अंक और अधार रखे जाएंगे;

(४) प्रलेप 13, प्रलेप 17, प्रलेप 18, प्रलेप 19, प्रलेप 20, प्रलेप 21 और प्रलेप 22 का न्योप नियम जारीगा;

(V) डाम नियम 1955 में—

(क) नियम 48 के उप-नियम (3) में, "प्रलग छ, ग, घ और ह, में" शब्दों और अधारों के स्थान पर "विभिन्न थम विधियों के अधीन रजिस्टरों के रख रखाव के अनुगालन की सुगमता नियम, 2017 की अनुसूची में क्रमशः विनिर्दिष्ट प्रलग का और प्रलग घ में" शब्द, अंक और अधार रखे जाएंगे;

(ख) नियम 49 के उप-नियम (4) में, "प्रलेप च, गें" शब्दों और अक्षर के स्थान पर "विभिन्न थम विधियों के अधीन रजिस्टरों के रख रखाव के अनुपालन की सुगमता नियम, 2017 की अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्रलेप छ, गें" शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे;

(ग) नियम 51 में, "प्रलेप छ में" शब्दों और अक्षर के स्थान पर "विभिन्न थम विधियों के अधीन रजिस्टरों के रख रखाव के अनुपालन की सुगमता नियम, 2017 की अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्रलेप क, में" शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे;

(घ) नियम 53 के उपनियम (1) में, दोनों रूपानों पर आने वाले "प्रलेप छ और प्रलेप ज में" शब्दों और अधार के स्थान पर "विभिन्न थम विधियों के अधीन रजिस्टरों के रख रखाव के अनुपालन की सुगमता नियम, 2017 की अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्रलेप छ, ज में" शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे;

(ङ.) नियम 59 में, "प्रलेप श में" शब्दों और अधार के स्थान पर "विभिन्न थम विधियों के अधीन रजिस्टरों के रख रखाव के अनुपालन की सुगमता नियम, 2017 की अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्रलेप श में" शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे;

(च) नियम 77 में, "प्रलेप छ में" शब्दों लौर अक्षर के स्थान पर "विभिन्न थम विधियों के अधीन रजिस्टरों के रख रखाव के अनुपालन की सुगमता नियम, 2017 की अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्रलेप क में" शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे;

(झ) नियम 77के उप-नियम (2) में, "प्रलेप छ में" शब्दों और अक्षर के स्थान पर "विभिन्न थम विधियों के अधीन रजिस्टरों के रख रखाव के अनुपालन की सुगमता नियम, 2017 की अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्रलेप क गें" शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे;

(ज) नियम 78 में—

(क) उप-नियम (1) में "क्रमशः प्रलेप ग, प्रलेप घ और प्रलेप ह, में" शब्दों और अधारों के स्थान पर "विभिन्न थम विधियों के अधीन रजिस्टरों के रख रखाव के अनुपालन की सुगमता नियम, 2017 की अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्रलेप ग, घ, ह में" शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे;

(घ) उप-नियम (2) में “प्रकृष्ट ग में” शब्दों और अक्षर के स्थान पर “विशिष्ट शम विधियों के अधीन रजिस्टरों के रख रखाव के अनुपालन की सुगमता नियम, 2017 की अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्रकृष्ट ग में” शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे;

(ग) उप-नियम (3) में “प्रकृष्ट घ और प्रकृष्ट छ, में” शब्दों और अक्षरों के स्थान पर विशिष्ट शम विधियों के अधीन रजिस्टरों के रख रखाव के अनुपालन की सुगमता नियम, 2017 में विनिर्दिष्ट प्रकृष्ट घ में” शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे; और

(द) प्रकृष्ट ख, प्रकृष्ट ग, प्रकृष्ट घ, प्रकृष्ट छ., प्रकृष्ट च, प्रकृष्ट छ, प्रकृष्ट ज और प्रकृष्ट झ का लोप किया जाएगा;

(vi) न्यूतम मजदूरी (कन्द्रीय) नियम, 1950 में –

(अ) नियम 21 के उप-नियम (4) में, “क्रमशः प्रकृष्ट १ और प्रकृष्ट २ में” शब्दों और अंकों के स्थान पर विभिन्न शम विधियों के अधीन रजिस्टरों के रख रखाव के अनुपालन धीरे सुगमता नियम, 2017 की अनुगूची में विनिर्दिष्ट प्रकृष्ट ग में ” शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे;

(आ) नियम 25 के उप-नियम (2) में “प्रकृष्ट ४ में” शब्दों और अंक के स्थान पर “विभिन्न शम विधियों के अधीन रजिस्टरों के रख रखाव के अनुपालन की सुगमता नियम, 2017 की अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्रकृष्ट ख में” शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे;

(इ) नियम 26 में -

(क) उप-नियम (1) में “प्रकृष्ट १० में” शब्दों और अंक के स्थान पर “विशिष्ट शम विधियों के अधीन रजिस्टरों के रख रखाव के अनुपालन की सुगमता नियम, 2017 की अनुगूची में विनिर्दिष्ट प्रकृष्ट च में” शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे;

(ख) उप-नियम (1क) का लोप किया जाएगा;

(ग) उपनियम (5) में, “प्रकृष्ट ५ में और स्थापन में नियोजित प्रत्येक व्यक्ति की हाजिरी तक प्रकृष्ट में प्रतिविनियोग अभिलेखित की जाएगी” शब्दों और अंक के स्थान पर, “विशिष्ट शम विधियों के अधीन नज़ीन्दरों के रख रखाव के अनुपालन की सुगमता नियम, 2017 की अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्रकृष्ट च में और स्थापन में नियोजित प्रत्येक व्यक्ति की हाजिरी तक प्रकृष्ट में प्रतिविनियोग अभिलेखित की जाएगी” शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे;

(ँ) प्राप्त १, प्राप्त २, प्राप्त ४, प्राप्त ५ तक प्राप्त १० का लोप किया जाएगा;

(vii) मजदूरी संदर्भ (वायु परिवहन सेवाएं) नियम, 1968 में –

(अ) नियम 4 में,-

- (क) उपनियम (2) में "प्ररूप 2 में" शब्दों और अंक के स्थान पर "विभिन्न वर्ष विधियों के अधीन रजिस्टरों वे रख रखाव के अनुपालन की सामता नियम, 2017 की अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्ररूप ग में" शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे;
- (ख) उप-नियम (6) में, "प्ररूप 2 के आग 2" शब्दों और अंकों के स्थान पर "उपनियम (2) में निर्दिष्ट रजिस्टर" शब्द, कोष्ठता और अंक रखे जाएंगे;
- (आ) नियम 5 में, "प्ररूप 3 में" शब्दों और अंक के स्थान पर "विभिन्न वर्ष विधियों के अधीन रजिस्टरों वे रख रखाव के अनुपालन की रुगमता नियम, 2017 की अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्ररूप ग में" शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे;
- (इ) नियम 6 में, "क्रमशः प्ररूप 4 और प्ररूप 5 में" शब्दों और अंकों के स्थान पर, "विभिन्न वर्ष विधियों के अधीन रजिस्टरों वे रख रखाव के अनुपालन की सामता नियम, 2017 की अनुसूची में विनिर्दिष्ट क्रमशः प्ररूप घ और प्ररूप छ में" शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे;
- (ई) नियम 17 के उपनियम (3) में, "प्ररूप 9 में" शब्दों और अंक के स्थान पर, "विभिन्न वर्ष विधियों के अधीन रजिस्टरों वे रख रखाव के अनुपालन की सामता नियम, 2017 की अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्ररूप ग में" शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे;
- (इ) नियम 18, के उपनियम (3) में, "प्ररूप 10 में" शब्दों और अंक के स्थान पर, "विभिन्न वर्ष विधियों के अधीन रजिस्टरों वे रख रखाव के अनुपालन की सुगमता नियम, 2017 की अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्ररूप ग में" शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे;
- (अ) प्ररूप 2, प्ररूप 3, प्ररूप 4, प्ररूप 5, प्ररूप 9 और प्ररूप 10 का लोप किया जाएगा;
- (VIII) मजदूरी रांदाम (बाट) नियम, 1956 में,-
- (क) नियम 3 के उपनियम (1) में, "प्ररूप 1 में" शब्दों और अंक के स्थान पर "विभिन्न वर्ष विधियों के अधीन रजिस्टरों वे रख रखाव के अनुपालन की सुगमता नियम, 2017 की अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्ररूप ग में" शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे;
- (ख) नियम 4 में, "प्ररूप 2 में" शब्दों और अंक के स्थान पर "विभिन्न वर्ष विधियों के अधीन रजिस्टरों वे रख रखाव के अनुपालन की सामता नियम, 2017 की अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्ररूप ग में" शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे;
- (ग) नियम 5 में, "प्ररूप 3 में" शब्दों और अंक के स्थान पर "विभिन्न वर्ष विधियों के अधीन रजिस्टरों वे रख रखाव के अनुपालन की सुगमता नियम, 2017 की अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्ररूप ग में" शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे;

(ध) नियम 17 के उपग्रहितम (1) में, दोनों स्थानों पर आगे बाले "प्रस्ता 4क गे" शब्दों, अधर और अंकों के स्थान पर "विभिन्न धर्म विधियों के अधीन रजिस्टरों के रख रखाव के अनुपालन की सुगमता नियम, 2017 की अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्ररूप छ. में" शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे;

(इ.) नियम 19, उपनियम (3) में, "प्ररूप 6 गे" शब्दों और अंक के स्थान पर "विभिन्न धर्म विधियों के अधीन रजिस्टरों के रख रखाव के अनुपालन की सुगमता नियम, 2017 की अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्ररूप ग. में" शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे;

(घ) प्ररूप 1, प्ररूप 2, प्ररूप 3, प्रस्ता 4-क तथा प्ररूप 6 का लोप किया जाएगा;

(IX) मजदूरी संदाच (रेल) नियम, 1938 में-

(क) नियम 3 के उपनियम (1) में, "प्ररूप 1 में" शब्दों और अंक के स्थान पर "विभिन्न धर्म विधियों के अधीन रजिस्टरों ने रख रखाव के अनुपालन की नुगमता नियम, 2017 की अनुग्रहीत में विनिर्दिष्ट प्ररूप भ. में" शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे;

(ख) नियम 4, उपनियम (1) में, "प्ररूप 2 गे" शब्दों और अंक के स्थान पर "विभिन्न धर्म विधियों के अधीन रजिस्टरों के रख रखाव के अनुपालन की सुगमता नियम, 2017 की अनुग्रहीत में विनिर्दिष्ट प्ररूप भ. में" शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे;

(ग) नियम 18, उपग्रहितम (3) में, "प्ररूप 5 भे" शब्दों और अंक के स्थान पर "विभिन्न धर्म विधियों के अधीन रजिस्टरों के रख रखाव के अनुपालन की नुगमता नियम, 2017 की अनुग्रहीत में विनिर्दिष्ट प्ररूप ग. में" शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे;

(घ) प्ररूप 1, प्ररूप 2 और प्ररूप 5 का लोप किया जाएगा;

(X) विक्रय संवर्धन कर्मचारी (गेवा शर्तें) नियम, 1976 में,-

(अ) नियम 23 में,-

(क) खंड (क) में, "प्ररूप छ. गे" शब्दों और अक्षर के स्थान पर "विभिन्न धर्म विधियों के अधीन रजिस्टरों के रख रखाव के अनुपालन की सुगमता नियम, 2017 की अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्ररूप क. में" शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे;

(ख) खंड (ख) में, "प्ररूप घ. में" शब्दों और अक्षर के स्थान पर "विभिन्न धर्म विधियों के अधीन रजिस्टरों के रख रखाव के अनुपालन वी. सुगमता नियम, 2017 की अनुग्रहीत में विनिर्दिष्ट प्ररूप का. में" शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे;

(ग) खंड (ग) में, "प्ररूप छ. गे" शब्दों और अक्षर के स्थान पर "विभिन्न धर्म विधियों के अधीन रजिस्टरों के रख रखाव के अनुपालन की सुगमता नियम, 2017 भी अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्ररूप छ. गे" शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे;

(आ) प्ररूप छ., प्ररूप घ तथा प्ररूप छ. लोप किया जाएगा;

(X) अमज्जीवी पत्रकार और अन्य गमधार पत्र कार्जनारी (सेवा की शर्त) और प्रक्षिण उपायक्रम नियम, 1957 में,-

(अ) नियम 37 में,-

- (अ) खंड (i) में, "प्रख्यात वर्ग में" शब्दों और अधार के स्थान पर "विभिन्न अम विधियों ने अधीन रजिस्टरों के रख रखाव के अनुपालन की सुगमता नियम, 2017 की अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्रकृति के गे" शब्द, अंक और व्यापार रखें जाएँगे;
- (ब) खंड (ii) में, "प्रख्यात वर्ग में" शब्दों और अधार के स्थान पर "विभिन्न अम विधियों के अधीन रजिस्टरों के रख रखाव के अनुपालन की तुगाज्ञा नियम, 2017 की अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्रकृति के गे" शब्द, अंक और व्यापार रखें जाएँगे;
- (ग) खंड (iv) में, शब्दों "प्रख्यात वर्ग में" शब्दों और अधार के स्थान पर "विभिन्न अम विधियों ने अधीन रजिस्टरों के रख रखाव के अनुपालन की सुगमता नियम, 2017 की अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्रख्यात वर्ग में" शब्द, अंक और व्यापार रखें जाएँगे;

(आ) प्रख्यात, प्रख्यात वा और प्रख्यात वर्ग का लोप किया जाएगा।

अनुसूची

[नियम 2 (1) देखें]

प्रख्यात

कार्जनारी रजिस्टर वा रूपविधान

[धारा - कर सभी रथापताओं के लिए]

*धारपता का नाम _____ स्वामी नाम नाम _____ एवं आईएन _____

क्र.सं.	कर्मचारी कोड	नाम	उपनाम	लिंग	पिता/पति वा पत्नी का नाम	जन्म तिथि	राष्ट्रीयता	शिक्षा का स्तर	पार्श्वकार की तारीख	पदनाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11



प्रदर्शन पता * (अति कुशल/कुशल/अर्ध कुशल/अकुशल)	मोबाइल नंबर	गृह नंबर	पीएप्ट	ईएसआई गी आईपी	एनडब्ल्यूएफ	आधार	बैंक खाता मेल्या	बैंक	शाया (आईएफाएमसी)	वरेमान खक्का	स्थापी गता	
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

संवाधितेज्ञान सं	निकासी की सारीख के	निकासी का कारण	पहचान के निशान	फोटो	नमूना हस्ताक्षर/अंगूठा निशान	टिक्की
25	26	27	28	29	30	31

* (अति कुशल/कुशल/अर्ध कुशल/अकुशल)

नोट: यदि उम्र 14 से 18 वर्ष के बीच है तो कार्य भी प्रकृति, कार्य के देशिक घटे और विश्वास अंतरालों का विवरण स्तंभ में उल्लेख करें।

भाग ४ (केवल खान अधिनियम, 1952 (1952 का 35) के लिए)

नाम कर्मचारी रजिस्टर में क्रम संख्या	गाम	जारी किया गया टोबन संख्यांक	वर्तमान स्थान के साथ नियुक्ति की पहली तारीख	अस्य और की गई आरोगता वा प्रमाणपत्र (14 ये 18 वर्ष तक के लिए)	नियोजित ना स्थान (भूमिगत/ विवृत/सदाही सूरि)	व्यावनायिक प्रशिक्षण का प्रमाण एवं संख्या	तारीख
1	2	3	4	5	6	7	8

नामनिर्देशिती	आपात कानून की दशा में संपर्क किया जाने वाला व्यक्ति व्यक्ति	टीएस-ट्रिप्पिंगां	*स्थान प्रबंधक के हस्ताक्षर				
नाम	फाया	नाम और संबंध	पता	पोबाइल	पोबाइल	पोबाइल	पोबाइल
9	10	11	12	13	14	15	

* डिस्ट्रीटल प्ररूप की दशा में आवश्यक नहीं है।

प्ररूप ४

पंजदूरी रजिस्टर हेतु स्थानियान

न्युनतम गंजदूरी वी दर और किंवा तारीख में

अति कृशल	कृशन	अर्धकृशल	अनुशल
न्यूनतम भूल			
महंगाई शर्ता			
अनियन्त्रण भूल			

[भाग II- छण्ड 3(i)]

स्थापन का नाम _____ स्वामी का नाम _____ ग्रंथार्देश _____

तारीख _____ से _____ तक भजदुरी अधिक (मासिक/प्राधिक /साप्ताहिक / दैनिक/मात्रागती दर)

कर्मचारी रजिस्टर में ब्रह्म संघा	नाम	भजदुरी की दर	कार्य दिवानों की मंज्या	काम के विभिन्न ब्रटे	गुल	विशेष मूल	महंगाई मत्ता	अतिक्रालभ ता संदाय	भक्त किरणा	*अन्य	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

कठोरियां

मन्त्रिय	इंग्रजीसी	आवकर	सोमागटी	वीमा	अन्य	वसूलीय	कुल	शुद्ध संदाय	निवोत्ता का अविष्व विधि, कल्याण निधि में शेयर
निधि	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

कर्मचारी द्वारा पाकती/ बैंक भव्यताः आईडी	गंदाय की निधि	टीका- टिप्पणियां
—	—	—

* खान अधिनियम के नाम से संदर्भ नोट कुट्टी भजदुरी अन्य स्तर में दर्शाउँ जानी चाहिए और विनिर्दिष्ट रूप से टीका-टिप्पणी स्तर में धो उल्लिखित की जानी चाहिए।

प्रस्तुति

चृण/वसूली रजिस्टर का रूपविधान

स्थापना का नाम	एनआईएन					
कर्मचारी रजिस्टर में क्रा.	नाम	वसूली का प्रकार	विशिष्टिया	अति/मुक्तान की तिथि	खाता	
संख्या		(अति/मुक्तान/दंड/अग्रिम प्राप्ति/क्रृपा)				
1	2	3	4	5	6	
का कारण बतावे जाएँ। इनकी उपरिधित में सुना।	किश्तों की संख्या	प्रथम भास /वर्ष	अंतिम भास /वर्ष	पूर्ण वसूली दिनांकी		
किया*	गया व्याप्तीकरण			वी तिथि		
7	8	9	10	11	12	
13						

*क्यन अति/मुक्तान/मुक्तान के साथ ही लागू होगा।

प्रस्तुति

उपरिधित रजिस्टर का रूपविधान

रथान का नाम	स्थाप्तों का नाम						एनआईएन		
मे	की अवधि के बिए								
कर्मचारी रजिस्टर में क्रम संख्याका	नाम	रिलैफ या मंटर कार्ड	कार्य का रथल*	वारीष्ठ	गांठ	टीका-डिग्निया	रजिस्टर पालन वे.हस्ताक्षर		
				1 2 3 4 ... 31	दिनों की संख्या	कार्य मंटो वी संख्या			
				आना					
				जाना					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10



केवल ध्वनि के मामले में भूमिका और कार्य का स्थल (भूगोली/चुल्ही) बदाई ताला/ध्रुतल)

यदि कोई वार्षिकी उपस्थिति नहीं है तो निप्रविष्टि नी प्रविष्टि की जाएः (विश्वास के लिए 'आर', रांदखा अवकाश के लिए 'एल' / अनुपस्थिति के लिए 'ए' / सामाजिक अवकाश के लिए 'ओ' / बंद रथागत के लिए 'टी')

**इसके रास्तरखाव के मामले में आवश्यक नहीं है।

प्रस्तुति.

विश्वास/अवकाश के अंतर्गत आवश्यक चुम्बकी के रजिस्टर का रूपविधान

कान अधिनियम, 1962 विक्रम संवर्धन वार्षिकी (सेवा शर्तों) अधिनियम, 1976 और अमजीबी पत्रकार और अन्य समाजात्मक वार्षिकी (सेवा शर्तों) और प्रकार्ति उपवंश अधिनियम, 1957 संस्थानों के नाम _____ स्वामी का नाम _____ एनआईएन _____

वर्ष _____ के लिए

वार्षिकी रजिस्टर में क्रमबद्ध संख्या	नाम	वर्ष में लिए गए कार्य के दिनों की संख्या	आरंभिक अविशेष	परिवर्धित	प्रतिकारात्मक विश्वास के बारे में		
					अनुज्ञात विश्वास	लिया गया विश्वास	अंत शेष
1	2	3	4	5	6	7	8

अंतिम छुट्टी के बारे में		निकिता छुट्टी के बारे में	
आरंभिक अविशेष	परिवर्धित	लिया गया छुट्टी	अंत शेष
9	10	11	12

अन्य छुट्टी के बारे में				
आरंभिक अविशेष	परिवर्धित	ली गई छुट्टी	अंत शेष	टिप्पणियाँ
17	18	19	20	21

टिप्पणी : वर्ष के लिए जनवरी माह के लिए रजिस्टर में वर्ष के लिए छुट्टी आरंभिक अविशेष भी दर्शाया जाएगा। और दिवस्वर गास के लिए वर्ष के लिए अंत दर्शाया जाएगा।

[पा. सं. Z-20025/27/2016-एनआरसी]

आर. ने. गुप्ता, संयुक्त सचिव

टिप्पणी:

1. भवन और अन्व संचिरण कर्मकार (रोजगार का विनियमन एवं सेवा शर्तों) केन्द्रीय नियम, 1998 को भारत के राजपत्र में सा.का.नि. 689(बा) तारीख 19.11.98 के द्वारा प्रकाशित किया गया था और सा.का.नि. 471(अ) तारीख 10.06.2015 के द्वारा अंतिम संशोधन किया गया।
2. डेक्का अम (विनियमन एवं उत्तराधिन) केन्द्रीय नियम को भारत के राजपत्र में सा.का.नि. 191 तारीख 10.02.1971 के द्वारा प्रकाशित किया गया था और सा.का.नि. 41(अ) तारीख 21.10.1999 के द्वारा अंतिम संशोधन किया गया था।
3. जमान पारिश्रमिक नियम, 1976 को भारत के राजपत्र में सा.का.नि. 119(ज) तारीख 11.03.1976 के द्वारा प्रकाशित किया गया था और इसमें सा.का.नि. 514(अ) तारीख 31.07.1991 के द्वारा अंतिम संशोधन किया गया।
4. अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी कर्मकार (रोजगार का विनियान एवं सेवा शर्तों) केन्द्रीय नियम, 1980 को भारत के राजपत्र में सा.का.नि. 513(क) तारीख 11.08.1980 के द्वारा प्रकाशित किया गया था और इसमें का.आ. 1614(अ) तारीख 10.06.2015 के द्वारा अंतिम संशोधन किया गया।
5. ज्ञान नियम, 1955 का.आ. 1421 तारीख 2.07.1955 के द्वारा भारत के राजपत्र ने प्रकाशित किए गए थे तथा सा.का.नि. 707(अ) तारीख 21.07.1989 के द्वारा अंतिम संशोधित किया गया।
6. लूनतग मजदूरी (के) नियम, 1950 के का.आ. 776 तारीख 14.10.1950 द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे तथा सा.का.नि. 182(अ) तारीख 11.03.2015 के द्वारा अंतिम संशोधित किया गया।
7. मजदूरी संदाय (वर्गु परिवहन सेवाएं) नियम, 1968 का.आ. 3036/पीड़ितव्यौ/ए/धायु सेवा नियम 68 द्वारा तारीख 05.08.1968 के भारत के राजपत्र ने प्रकाशित किए गए थे तथा सा.का.नि. 352(अ) तारीख 01.05.2015 के द्वारा अंतिम संशोधित किया गया।
8. मजदूरी संदाय (छात) नियम, 1956 के वा.नि.आ. -776 तारीख 30.11.1956 द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे तथा सा.का.नि. 351 (अ) तारीख 01.05.2015 के द्वारा अंतिम संशोधित किया गया।
9. मजदूरी संदाय (संलग्नतया) नियम, 1938 भारत के राजपत्र में ए.न.-3070(1) तारीख 05.05.1938 के द्वारा प्रकाशित किया गया था तथा सा.का.नि. 353(अ) तारीख 01.05.2015 द्वारा इसमें अंतिम संशोधन किया गया;
10. विकाय संबर्थन कर्मचारी (सेवा शर्तों) नियम, 1976 भारत के राजपत्र में सा.आ. 113(अ) तारीख 08.03.1976 के द्वारा प्रकाशित किया गया था तथा का.आ. 217(अ) तारीख 24.02.2011 द्वारा अंतिम संशोधन किया गया; और
11. धमजीवी पत्रकार (सेवा शर्तों) एवं प्रतीर्ण उत्तरवेद नियम, 1957 भारत के राजपत्र में का.नि.आ. 1737 तारीख 23.05.1957 के द्वारा प्रकाशित किया गया था तथा का.आ. 889(अ) तारीख 11.11.1980 द्वारा अंतिम संशोधन किया गया।

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT
NOTIFICATION

New Delhi, the 21st February 2017

G.S.R. 154(E).—Whereas for the ease of, and for the expedient compliance of the requirement of the various labour related laws referred to herein and for the purpose of maintaining combined registers for all such laws, it has become essential to frame separate rules for the said purpose;

And whereas the intention to provide such combined register is to sub serve the purposes, more specifically electronically, of the said labour related laws and the rules made there under, wherein provisions have been made for maintenance of such registers;

And whereas combined registers provided under the proposed rules will facilitate ease of compliance, maintenance and inspection, and will also make the information provided there under easily accessible to the public through electronic means thereby increasing transparency;

And whereas making separate rules for the aforementioned purpose will benefit making references of registers provided under different labour related laws simple, which will serve public purpose in a better way;

And whereas to achieve the aforementioned purposes, the draft rules, namely the Ease of Compliance to Maintain Registers under various Labour Law Rules, 2016 were published vide notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Employment, number G.S.R. 1018(E), dated, the 4th November 2016, in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby on or before the expiry of a period of three months from the date on which the copies of the Official Gazette containing the said notification were made available to the public;

And whereas, the copies of the said Gazette were made available to the public on the 4th November, 2016;

And whereas, the objections and suggestions received from the public on the said draft rules have been considered by the Central Government; Now, therefore, in exercise of the powers conferred by-

- (a) section 62 of the Building and Other Construction Workers' (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act, 1996 (27 of 1996) and after consultation with the expert committee;
- (b) section 35 of the Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970 (37 of 1970);
- (c) section 13 of the Equal Remuneration Act, 1976 (25 of 1976);
- (d) section 35 of the Inter-State Migrant Workmen (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act, 1979 (30 of 1979);
- (e) section 58 read with section 59 of the Mines Act, 1952 (35 of 1952) and after complying with the requirements of sub-section (4) of said section 59;
- (f) section 29 and section 30 of the Minimum Wages Act, 1948 (11 of 1948);
- (g) section 26 of the Payment of Wages Act, 1936 (1 of 1936);
- (h) section 12 of the Sales Promotion Employees (Conditions of Service) Act, 1976 (11 of 1976); and
- (i) section 20 of the Working Journalists and Other Newspaper Employees (Conditions of Service) and Miscellaneous Provisions Act, 1955 (45 of 1955);

read with Chapter III of the Information Technology Act, 2000 (21 of 2000), the Central Government hereby makes the following rules, namely:-

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT
NOTIFICATION

New Delhi, the 21st February 2017

G.S.R. 154(E).— Whereas for the ease of, and for the expedient compliance of the requirement of the various labour related laws referred to herein and for the purpose of maintaining combined registers for all such laws, it has become essential to frame separate rules for the said purpose;

And whereas the intention to provide such combined register is to subserve the purposes, more specifically electronically, of the said labour related laws and the rules made thereunder, wherein provisions have been made for maintenance of such registers;

And whereas combined registers provided under the proposed rules will facilitate ease of compliance, maintenance and inspection, and will also make the information provided thereunder easily accessible to the public through electronic means thereby increasing transparency;

And whereas making separate rules for the aforementioned purpose will benefit making references of registers provided under different labour related laws simple, which will serve public purpose in a better way;

And whereas to achieve the aforementioned purposes, the draft rules, namely the Ease of Compliance to Maintain Registers under various Labour Law Rules, 2016 were published vide notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Employment, number G.S.R. 1048(E), dated, the 4th November 2016, in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby on or before the expiry of a period of three months from the date on which the copies of the Official Gazette containing the said notification were made available to the public;

And whereas, the copies of the said Gazette were made available to the public on the 4th November, 2016;

And whereas, the objections and suggestions received from the public on the said draft rules have been considered by the Central Government; Now, therefore, in exercise of the powers conferred by—

- (a) section 62 of the Building and Other Construction Workers' (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act, 1996 (27 of 1996) and after consultation with the expert committee;
- (b) section 35 of the Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970 (37 of 1970);
- (c) section 13 of the Equal Remuneration Act, 1976 (25 of 1976);
- (d) section 35 of the Inter-State Migrant Workmen (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act, 1979 (30 of 1979);
- (e) section 58 read with section 59 of the Mines Act, 1952 (35 of 1952) and after complying with the requirements of sub-section (4) of said section 59;
- (f) section 29 and section 30 of the Minimum Wages Act, 1948 (11 of 1948);
- (g) section 26 of the Payment of Wages Act, 1936 (4 of 1936);
- (h) section 12 of the Sales Promotion Employees (Conditions of Service) Act, 1976 (11 of 1976); and
- (i) section 20 of the Working Journalists and Other Newspaper Employees (Conditions of Service) and Miscellaneous Provisions Act, 1955 (45 of 1955);

and with Chapter III of the Information Technology Act, 2000 (21 of 2000), the Central Government hereby makes the following rules, namely:-

- (c) in clause (c), for the words and figures "in Form XXII annexed to these rules", the words, letter and figures, "in Form B specified in the Schedule to the Ease of Compliance to Maintain Registers under various Labour Laws Rules, 2017" shall be substituted; and
- (C) Form XV, Form XVI, Form XVII, Form XIX, Form XX, Form XXI and Form XXII shall be omitted;
- (ii) in the Contract Labour (Regulation and Abolition) Central Rules, 1971,-
- (A) in rule 75, for the words and figures "in Form XIII", the words, letter and figures, "in Form A specified in the Schedule to the Ease of Compliance to Maintain Registers under various Labour Laws Rules, 2017" shall be substituted;
- (B) in rule 78, in clause (a).-
- (a) in sub-clause (i).-
- (A) for the words and figures "in Form XVI and Form XVII respectively", the words, letters and figures, "in Form D and Form B, respectively, specified in the Schedule to the Ease of Compliance to Maintain Registers under various Labour Laws Rules, 2017" shall be substituted;
- (B) the proviso shall be omitted;
- (b) in sub-clause (ii), for the words and figures "in Form XX, Form XXI and Form XXII respectively", the words, letters and figures, "in Form C specified in the Schedule to the Ease of Compliance to Maintain Registers under various Labour Laws Rules, 2017" shall be substituted;
- (c) in sub-clause (iii), for the words and figures "in Form XXIII", the words, letter and figures "in Form B specified in the Schedule to the Ease of Compliance to Maintain Registers under various Labour Laws Rules, 2017" shall be substituted; and
- (C) Form XIII, Form XVI, Form XVII, Form XVIII, Form XX, Form XXI, Form XXII and Form XXIII shall be omitted;
- (iii) in the Equal Remuneration Rules, 1976. -
- (A) in rule 6, for the words and letter, "in Form 'D'", the words, letter and figures, "in Form B specified in the Schedule to the Ease of Compliance to Maintain Registers under various Labour Laws Rules, 2017" shall be substituted; and
- (B) Form D shall be omitted;
- (iv) in the Inter-State Migrant Workmen (Regulation of Employment and Conditions of Service) Central Rules, 1980.-
- (A) in rule 49, for the words and figures "in Form XIII", the words, letters and figures, "in Form A specified in the Schedule to the Ease of Compliance to Maintain Registers under various Labour Laws Rules, 2017" shall be substituted;
- (B) in rule 52, in sub-rule (2).-
- (a) in clause (a), for the words and figures "in Form XVII and XVIII respectively", the words, letters and figures, "in Form D and Form B, respectively, specified in the Schedule to the Ease of Compliance to Maintain Registers under various Labour Laws Rules, 2017" shall be substituted;
- (b) in clause (c), for the words and figures "in Forms XIX, XX and XXI respectively", the words, letter and figures, "in Form C specified in the Schedule to the Ease of Compliance to Maintain Registers under various Labour Laws Rules, 2017" shall be substituted;
- (c) in clause (d), for the words and figures "in Form XXII", the words, letter and figures "in Form B specified in the Schedule to the Ease of Compliance to Maintain Registers under various Labour Laws Rules, 2017" shall be substituted; and

- (C) Form XIII, Form XVII, Form XVIII, Form XIX, Form XX, Form XXI and Form XXII shall be omitted;
- (v) in the Mines Rules, 1955,—
- (A) in rule 48, in sub-rule (3), for the words and letters “in Forms B, C, D and E”, the words, letter and figures, “in Form A and Form D, respectively, specified in the Schedule to the Ease of Compliance to Maintain Registers under various Labour Laws Rules, 2017” shall be substituted;
 - (B) in rule 49, in sub rule (4), for the words and letter, “in Form F”, the words, letter and figures “in Form B specified in the Schedule to the Ease of Compliance to Maintain Registers under various Labour Laws Rules, 2017” shall be substituted;
 - (C) in rule 51, for the words and letter, “in Form B”, the words, letter and figures, “in Form A specified in the Schedule to the Ease of Compliance to Maintain Registers under various Labour Laws Rules, 2017” shall be substituted;
 - (D) in rule 53, in sub-rule (1), for the words and letters “in Forms G and H” occurring at both the places, the words, letter and figures “in Form E specified in the Schedule to the Ease of Compliance to Maintain Registers under various Labour Laws Rules, 2017” shall respectively be substituted;
 - (E) in rule 59, for the words and letter “in Form F”, the words, letter and figures, “in Form B specified in the Schedule to the Ease of Compliance to Maintain Registers under various Labour Laws Rules, 2017” shall be substituted;
 - (F) in rule 77, for the words and letter “in Form B”, the words, letter and figures, “in Form A specified in the Schedule to the Ease of Compliance to Maintain Registers under various Labour Laws Rules, 2017” shall be substituted;
 - (G) in rule 77A, in sub-rule (2), for the words and letter, “in Form B”, the words, letter and figures “in Form A specified in the Schedule to the Ease of Compliance to Maintain Registers under various Labour Laws Rules, 2017” shall be substituted;
 - (H) in rule 78,—
 - (a) in sub-rule (1), for the words and letters “in Forms C, D and E respectively”, the words, letter and figures “in Form D specified in the Schedule to the Ease of Compliance to Maintain Registers under various Labour Laws Rules, 2017” shall be substituted;
 - (b) in sub-rule (2), for the words and letter “in Form C”, the words, letter and figures “in Form D specified in the Schedule to the Ease of Compliance to Maintain Registers under various Labour Laws Rules, 2017” shall be substituted;
 - (c) in sub-rule (3), for the words and letters “in Forms D and E”, the words, letter and figures “in Form D specified in the Schedule to the Ease of Compliance to Maintain Registers under various Labour Laws Rules, 2017” shall be substituted; and
- (i) Form B, Form C, Form D, Form E, Form F, Form G, Form H and Form I shall be omitted;
- (vi) in the Minimum Wages (Central) Rules, 1950,—
- (A) in rule 21, in sub-rule (4), for the words and figures “in Forms I and II, respectively”, the words, letter and figures “in Form C specified in the Schedule to the Ease of Compliance to Maintain Registers under various Labour Laws Rules, 2017” shall be substituted;
 - (B) in rule 25, in sub-rule (2), for the words and figures “in Forms IV”, the words, letter and figures “in Form B specified in the Schedule to the Ease of Compliance to Maintain Registers under various Labour Laws Rules, 2017” shall be substituted;
 - (C) in rule 26,—
 - (a) in sub-rule (1), for the words and figure “in Form X”, the words, letter and figures “in Form B specified in the Schedule to the Ease of Compliance to Maintain Registers under various Labour Laws Rules, 2017” shall be substituted;



- (b) sub-rule (1A) shall be omitted;
- (c) in sub-rule (5), for the words and figure "in Form V and the attendance of each person employed in the establishment shall be recorded daily in that Form", the words, letter and figures "in Form D specified in the Schedule to the Ease of Compliance to Maintain Registers under various Labour Laws Rules, 2017 and the attendance of each person employed in the establishment shall be recorded daily in that Form" shall be substituted; and

(D) Form I, Form II, Form IV, Form V and Form X shall be omitted;

(vii) in the Payment of Wages (Air Transport Services) Rules, 1968,-

(A) in rule 4,-

- (a) in sub-rule (2), for the words and figures "in Form II", the words, letter and figures "in Form C specified in the Schedule to the Ease of Compliance to Maintain Registers under various Labour Laws Rules, 2017" shall be substituted; and

- (b) in sub-rule (5), for the words and figures "Part II of Form II", the words, brackets and figure "Register referred to in sub-rule (2)" shall be substituted;

(B) in rule 5, for the words and figures "in Form III", the words, letter and figures "in Form C specified in the Schedule to the Ease of Compliance to Maintain Registers under various Labour Laws Rules, 2017" shall be substituted;

(C) in rule 6, for the words and figures "in Form IV and V respectively", the words, letters and figures "in Form D and Form B, respectively, specified in the Schedule

to the Ease of Compliance to Maintain Registers under various Labour Laws Rules, 2017" shall be substituted;

(D) in rule 17, in sub-rule (3), for the words and figures "in Form IX", the words, letter and figures "in Form C specified in the Schedule to the Ease of Compliance to Maintain Registers under various Labour Laws Rules, 2017" shall, respectively, be substituted;

(E) in rule 18, in sub-rule (3), for the words and figure "in Form X", the words, letter and figures "in Form C specified in the Schedule to the Ease of Compliance to Maintain Registers under various Labour Laws Rules, 2017" shall be substituted; and

(F) Form II, Form III, Form IV, Form V, Form IX and Form X shall be omitted;

(viii) in the Payment of Wages (Mines) Rules, 1956,

(A) in rule 3, in sub-rule (1), for the words and figure "in Form F", the words, letter and figures "in Form C specified in the Schedule to the Ease of Compliance to Maintain Registers under various Labour Laws Rules, 2017" shall be substituted;

(B) in rule 4, for the words and figures "in Form II", the words, letter and figures "in Form C specified in the Schedule to the Ease of Compliance to Maintain Registers under various Labour Laws Rules, 2017" shall be substituted;

(C) in rule 5, for the words and figures "in Form III", the words, letter and figures "in Form B specified in the Schedule to the Ease of Compliance to Maintain Registers under various Labour Laws Rules, 2017" shall be substituted;

(D) in rule 17, in sub-rule (1), for the words, letter and figures "in Form IV-A" occurring at both the places, the words, letter and figures "in Form B specified in the Schedule to the Ease of Compliance to Maintain Registers under various Labour Laws Rules, 2017" shall be substituted, respectively;

- (L) in rule 19, in sub-rule (3), for the words and figures "in Form VI", the words, letter and figures "in Form C specified in the Schedule to the Ease of Compliance to Maintain Registers under various Labour Laws Rules, 2017" shall be substituted; and
- (F) Form I, Form II, Form III, Form IV-A and Form VI shall be omitted;
- (ix) in the Payment of Wages (Railways) Rules, 1938,-
- (A) in rule 3, in sub-rule (1), for the words and figure "in Form I", the words, letter and figures "in Form C specified in the Schedule to the Ease of Compliance to Maintain Registers under various Labour Laws Rules, 2017" shall be substituted;
- (B) in rule 4, in sub-rule (1), for the words and figures "in Form II", the words, letter and figures "in Form C specified in the Schedule to the Ease of Compliance to Maintain Registers under various Labour Laws Rules, 2017" shall be substituted;
- (C) in rule 18, in sub-rule (3), for the words and figures "in Form V", the words, letter and figures "in Form C specified in the Schedule to the Ease of Compliance to Maintain Registers under various Labour Laws Rules, 2017" shall be substituted; and
- (D) Form I, Form II and Form V shall be omitted;
- (x) in the Sales Promotion Employees (Conditions of Service) Rules, 1976, —
- (A) in rule 23,-
- (a) in clause (a), for the words and letter "in Form B", the words, letter and figures "in Form A specified in the Schedule to the Ease of Compliance to Maintain Registers under various Labour Laws Rules, 2017" shall be substituted;
- (b) in clause (c), for the words and letter "in Form D", the words, letter and figures "in Form A specified in the Schedule to the Ease of Compliance to Maintain Registers under various Labour Laws Rules, 2017" shall be substituted;
- (c) in clause (d), for the words and letter "in Form E", the words, letter and figures "in Form E specified in the Schedule to the Ease of Compliance to Maintain Registers under various Labour Laws Rules, 2017" shall be substituted; and
- (B) Form B, Form D and Form E shall be omitted;
- (xi) in the Working Journalists (Conditions of Service) and Miscellaneous Provisions Rules, 1957,
- (A) in rule 37,-
- (a) in clause (i), for the words and letter "in Form D", the words, letter and figures "in Form A specified in the Schedule to the Ease of Compliance to Maintain Registers under various Labour Laws Rules, 2017" shall be substituted;
- (b) in clause (iii), for the words "in Form F", the words, letter and figures "in Form G specified in the Schedule to the Ease of Compliance to Maintain Registers under various Labour Laws Rules, 2017" shall be substituted;
- (c) in clause (iv), for the words "in Form G", the words, letter and figures "in Form D specified in the Schedule to the Ease of Compliance to Maintain Registers under various Labour Laws Rules, 2017" shall be substituted; and
- (B) Form D, Form F and Form G shall be omitted.

SCHEDULE

[See rule 2(1)]

FORM A**FORMAT OF EMPLOYEE REGISTER**

[Part-A: For all Establishments]

Name of the Establishment		Name of Owner		LIN									
Sl. No.	Employee Code	Name	Surname	Gender	Father's/Spouse Name	Date of Birth#	Nationality	Education Level	Date of Joining	Designation			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Category Address *(HS/S/SS/US)		Type of Employment	Mobile	UAN	PAN	HSIC IP	LWF	AADHAAR	Bank A/c Number	Bank	Branch (IFSC)	Present Address	Permanent
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Service Book No.		Date of Exit	Reason for Exit	Mark of Identification	Photo	Specimen Signature/Thumb Impression			Remarks				
25	26	27	28	29	30				31				

*(Highly Skilled/Skilled/Semi Skilled/Un Skilled)

#Note: In case the age is between 14 to 18 years, mention the nature of work, daily hours of work and Intervals of rest in the remarks Column.

[PART B: FOR THE MINES ACT, 1952 (35 of 1952) ONLY]

Sl. Number in Employee Register	Name	Token Number Issued	Date of First Appointment with present Owner	Certificate of age/fitness taken (for 14 to 18 Years)	Place of Employment (Underground/Open cast/Surface)	Certificate of Vocational Training	
						Number	Date
1	2	3	4	5	6	7	8

Nominee		Adult Person to be contacted in case of Emergency			Remarks	*Signature of Mines Manager
Name	Address	Name and Relationship	Address	Mobile		
9	10	11	12	13	14	15

^a Not necessary in case digital form



FORM B
FORMAT FOR WAGE REGISTER

Rate of Minimum Wages and since the date.....				
	Highly Skilled	Skilled	Semi-Skilled	Un Skilled
Minimum Basic				
DA				
Overtime				

Name of the Establishment _____ Name of Owner _____ LIN _____

Wage period From _____ To _____ (Monthly/Fortnightly/Weekly/Daily/Piece Rated)

Sl. No. in Employee register	Name	Rate of Wage	No. of Days worked	Overtime hours worked	Basic	Special Basic	DA	Payments Overtime	HRA	*Others	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Deduction								Net Payment	Employer Share PT Welfare Fund
PF	ESIC	Society	Income Tax	Insurance	Others	Recoveries	Total		
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

Receipt by Employee/Bank Transaction ID	Date of Payment	Remarks
23	24	25

* In case of Mines Act any Leave Wages paid should be shown in the Others Column and specifically mentioned in the Remarks column also.

28

FORM C
FORMAT OF REGISTER OF LOAN/ RECOVERIES

Name of Establishment _____		LIN _____				
Sl. Number in Employee register	Name	Recovery Type (Damage/loss/fine/advance/loans)	Particulars	Date of damage/loss*	Amount	
1	2	3	4	5	6	
 3						
Whether show cause issued?	Explanation heard in presence of*	Number of Instalments	First Month/Year	Last Month/Year	Date of Complete Recovery	Remarks
7	8	9	10	11	12	13

*Applicable only in case of damage/loss/fine

26

FORM D
FORMAT OF ATTENDANCE REGISTER

Name of Establishment _____ Name of Owner _____ TIN _____

For the Period From _____ To _____

Sl. Number in Employee register	Name	Relay/ ⁱⁱ or set work	Place of work [*]	Date			Summary No. of Days	Remarks No. of hours	**Signature of Register Keeper
				1	2	3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

ⁱⁱRelay and ^{*}Place of Work in case of Mines only (Underground/Opencast/Surface)

In case an employee is not present the following to be entered: (R for Rest/L for Paid Leave/A for absent/O for Weekly Off/C for Establishment Closed)

** Not necessary in case of E Form maintenance.

FORM E

FORMAT OF REGISTER OF REST/LEAVE/LEAVE WAGES UNDER

THE MINES ACT, 1952, THE SALES PROMOTION EMPLOYEES (CONDITIONS OF SERVICE) ACT, 1976 AND THE WORKING JOURNALISTS
(CONDITIONS OF SERVICE) AND MISCELLANEOUS PROVISIONS ACT, 1957

Name of Establishments _____ Name of Owner _____ LIN _____

For the Year

Sl. Number in Employees Register	Name	No. of days worked in the Year	Details of Compensatory Rest				
			Opening Balance	Added	Rest Not Allowed	Rest Availed	Closing Balance
1	2	3	4	5	6	7	8

Details of Earned Leave				Details of Medical Leave			
Opening Balance	Added	Leave Availed	Closing Balance	Opening Balance	Added	Leave Availed	Closing Balance
9	10	11	12	13	14	15	16

Details of Other Leave				Remarks
Opening Balance	Added	Leave Availed	Closing Balance	
17	18	19	20	21

Note: The Register for the month of January for the year will show the Leave Opening Balance for the year also and for the month December will show the Closing Balance for the year.

[C. No. Z-20025/27/2016-LRC]

R. K. GUPTA, Jr. Secy.

Note:

- (1) The Building and Other Construction Workers (Regulation of Employment and Conditions of Service) Central Rules, 1998 were published in the Gazette of India vide G.S.R. 689(E), dated 19.11.1998 and was lastly amended by G.S.R. 47(E) dated 10.06.2015;
- (2) The Contract Labour (Regulation and Abolition) Central Rules, 1971 were published in the Gazette of India vide G.S.R. 191, dated 10.02.1971 and was lastly amended by G.S.R. 41(E), dated 21.01.1999;

- (3) The Equal Remuneration Rules, 1976 were published in the Gazette of India vide G.S.R.119(E), dated 11.03.1976 and was lastly amended by G.S.R. 514(E), dated 31.07.1991.
- (4) The Inter-State Migrant Workmen (Regulation of Employment and Conditions of Service) Central Rules, 1980 were published in the Gazette of India vide G.S.R. 513(E), dated 11.08.1980 and was lastly amended by S.O. 1614(E), dated 16.11.2015.
- (5) The Mines Rules, 1955 were published in the Gazette of India vide S.O. 1421, dated 02.07.1955 and were lastly amended by G.S.R.707, dated 21.07.1989.
- (6) The Minimum Wages (Central) Rules, 1950 were published in the Gazette of India vide S.R.O. 776, dated 14.10.1950 and were lastly amended by S.O. 182(E), dated 11.03.2015.
- (7) The Payment of Wages (Air Transport Services) Rules, 1968 was published in the Gazette of India vide S.O. 3036/PWA/A/Air Service Rules 68, dated 05.08.1968 and was lastly amended by G.S.R.352(E) dated 01.05.2015.
- (8) The Payment of Wages (Mines) Rules, 1956 were published in the Gazette of India vide S.R.O. 776, dated 30.11.1956 and were lastly amended by G.S.R.351(E), dated 01.05.2015.
- (9) The Payment of Wage (Railways) Rules, 1938 were published in the Gazette of India vide L-3070(I), dated 05.05.1938 and were lastly amended by G.S.R.353(L), dated 01.05.2015.
- (10) The Sales Promotion Employees (Conditions of Service) Rules, 1976 were published in the Gazette of India vide S.O. 113(E), dated 08.03.1976 and were lastly amended by S.O. 217(E), dated 24.02.2011; and
- (11) The Working Journalists (Conditions of Service) and Miscellaneous Provisions Rules, 1957 were published in the Gazette of India vide S.R.O. 1737, dated 23.05.1957 and were lastly amended by S.O. 889(E), dated 11.11.1980.